न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 93/2023 (Bank Case)

GCMS No- 2023/274

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स (इण्डिया) लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री भूपेन्द्र सिंह। – प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री नारायण लाल (ऋणी)
   पता– वार्ड नं. 3, तेजाजी के चबूतरे के पास, खीमच, कोटा (राज.)– 326512
   दूसरा पता– पट्टा नं. 2718, संकल्प नं. 01, खसरा नं. 471, ग्राम पंचायत खीमच, पंचायत समिति खैराबाद, तह– रामगंजमण्डी, जिला– कोटा
2. श्रीमती मांगी बाई पत्नी श्री रमेश चंद (सहऋणी)
   पता– 192, खीमच, तह0– रामगंजमण्डी, कोटा (राज.)– 326517
3. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द
   पता– 192, खीमच, तह0– रामगंजमण्डी, कोटा (राज.)– 326517
4. प्रेमचन्द पुत्र श्री रामनारायण
   पता– 192, खीमच, तेजाजी के चबूतरे के उत्तर में, खीमच, तह0– रामगंजमण्डी, कोटा (राज.)– 326517

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 08.10.2025

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 06.06.2016 को 7,00,000/–(अक्षरे सात लाख रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री नारायण लाल की बंधक अचल सम्पत्ति– पट्टा नं. 2718, संकल्प नं. 01, खसरा नं. 471, ग्राम पंचायत खीमच, पंचायत समिति खैराबाद, तह– रामगंजमण्डी, जिला– कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 1064 स्क्वायर फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– रोड, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– बाबूलाल का मकान, दक्षिण में– रोड,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 8.11.2022 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 4,08,521/–(अक्षरे चार लाख, आठ हजार पाच सौ इक्कीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 10.11.2022 तक शेष देय है व दिनांक 11.11.2022 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.11.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु

रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभापक प्रस्तुत किया गया ।

प्रा0 पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजि0 किया जाकर न्यायहित को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। अप्रार्थी के अनुपस्थित रहने से सरफेसी एक्ट के प्रावधान अनुसार वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अभिभापक प्रार्थी को सुना गया। अभिभापक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 11.11.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 11.11.2022 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री नारायण लाल की बंधक अचल सम्पत्ति– पट्टा नं. 2718, संकल्प नं. 01, खसरा नं. 471, ग्राम पंचायत खीमच, पंचायत समिति खैराबाद, तह– रामगंजमण्डी, जिला– कोटा (राज.) में स्थित है, जिसका कुल क्षैत्रफल 1064 स्क्वायर फीट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में– रोड, पश्चिम में– रोड, उत्तर में– बाबूलाल का मकान, दक्षिण में– रोड, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावें।

आदेश आज दिनांक 08.10.2025 को सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)